श्रमिक शिक्षा

15.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, इकाई और ग्रामीण स्तरों पर श्रमिक शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु सन् 1958 में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में नागपुर में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी डब्ल्यू ई) की स्थापना की गई ।

- त्रिपक्षीय प्रकृति वाले इस बोर्ड के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, नियोजकों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।
- देश के सामाजिक -आर्थिक विकास में श्रमिकों की भागीदारी को प्रभावी बनाने हेतु उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति श्रमिक वर्गों में जागरूकता लाने की जरूरत है ।
- संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोर्ड विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ।
- बदले हुए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर कामगारों, श्रमिक संघों और प्रबंधनों की व्यापक शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोर्ड के कार्यक्रम में नए अभिविन्यास, दिशा और आयाम झलकते हैं ।

संरचना

15.2 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख चेयरमैन होता है । इसका मुख्यालय नागपुर में है । बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी निदेशक है, जिसकी सहायतार्थ अपर निदेशक, वित्त सलाहकार, उपनिदेशक, आदि होते हैं । बोर्ड 49 क्षेत्रीय तथा 9 उपक्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है । दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नै स्थित चार आँचलिक निदेशालयों द्वारा उनके सम्बद्ध अंचल में स्थित क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों का अनुवीक्षण किया जाता है । प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशालय के लिए गठित त्रिपक्षीय क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं और श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करती हैं । बोर्ड के शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सन् 1970 में मुंबई में भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई ।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

15.3 संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन स्तरों पर संचालित किये जाते हैं :

- प्रथम स्तर पर शिक्षा अधिकारी के रूप में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रशिक्षण पूरा होने पर ये शिक्षा अधिकारी अपने तैनाती केन्द्रों से विविध कार्यक्रमों का संचालन करते हैं ।
- द्वितीय स्तर पर, श्रमिक संघों द्वारा प्रायोजित तथा नियोक्ताओं द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाता है । इन प्रशिक्षित कामगारों को श्रमिक शिक्षक कहा जाता है ।
- तृतीय स्तर पर श्रमिक-शिक्षक अपने संस्थानों के अन्य सामान्य श्रमिकों के लिए कक्षाओं का संचालन करते हैं ।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

15.4 भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों / परिसंघों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का संचालन करने के अतिरिक्त, बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों को रोजगार पूर्व प्रशिक्षण देने एवं क्षेत्रीय निदेशकों तथा शिक्षा अधिकारियों के पुनराभिविन्यास का भी आयोजन करता है । श्रमिक संघों के कुछ विशेष मुद्दों को हल करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थान में तीन निम्नांकित प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं :

1. औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
2. ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शिक्षा तथा
3. महिला और बाल श्रम

अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 तक की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :

कार्यक्रम का शीर्षक	**कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1) पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ, इंटक, सी.टी.यू.ओ., सी.आर.एम.एस.,एच.एम.एस., एटक, बी. एम. एस. जैसे श्रमिक संघ संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	551
2) प्रबंधन और श्रमिक संघ पदाधिकारियों के लिए स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (एक सप्ताह)	07	147

3) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	06	93
4) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी	02	57
5) बोर्ड के समूह "ग" एवं "घ" कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	86
6) अन्य - ग्राम विस्तार अधिकारी	01	27
कुल	40	961

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम

15.5 अप्रैल 2003 से मार्च, 2004 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण, जिनमें इकाई स्तर की कक्षाओं, कमजोर वर्गों तथा असंगठित क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम तालिका 15.2 में दर्शाये गए हैं ।

असंगठित / ग्रामीण श्रमिकों की शिक्षा और ग्रामीण स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

15.6 प्रारंभ में बोर्ड की गतिविधियॉं संगठित क्षेत्र में केन्द्रित थीं । श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को देखते हुए बोर्ड ने 1977-78 से ग्रामीण क्षेत्र पर बल देना आरंभ किया है । आरंभ में ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों की 7 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थीं । अब वे नियमित एवं अनवरत कार्यक्रम बन चुके हैं । इस कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

- श्रमिक एवं नागरिक के रूप में समस्याओं, विशेषाधिकारों और दायित्वों के प्रति विवेचनात्मक जानकारी को बढ़ावा देना ;
- आत्मविश्वास में वृद्धि करना तथा वैज्ञानिक धारणाओं को जगाना ;
- परिवार कल्याण योजना तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रति प्रेरित करना ।
- श्रमिकों को उनके संगठनों के विकास के लिए शिक्षित करना ताकि उसके माध्यम से वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक - आर्थिक कार्यकलापों तथा दायित्वों की पूर्ति कर सकें और ग्रामीण समाज के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक ढाँचे को मजबूत कर सकें ;

<u>श्रमिक कल्याण एवं विकास कार्यक्रम</u>

15.7 श्रम मंत्रालय ने ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में उनके अपने सामाजिक - आर्थिक विकास हेतु सरकार की विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता निर्माण करने का कार्य केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपा है । इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इस वर्ष से अर्थात 2003 - 2004 से अपने 49 क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय अवधि का श्रमिक कल्याण एवं विकास नामक एक नये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और उसे आरंभ भी किया है । बोर्ड ने वर्ष 2003-2004 के दौरान 48,482 ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1312 जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया । इसके अलावा, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों में वितरण हेतु पुस्तिकाओं एवं पर्ची के रूप में अध्ययन सामग्री तैयाराधीन थी ।

15.8 ग्रामीण जागरूकता शिविरों के संचालन में शिक्षा अधिकारियों की मदद करने हेतु ग्रामीण स्वयंसेवकों को क्षेत्रीय निदेशालयों पर एक सप्ताह का अभिविन्यास /पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है । इन शिविरों में भूमिहीन मजदूर, जनजातीय मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, वनकर्मी और शिक्षित बेरोजगार भाग लेते हैं ।

15.9 बोर्ड द्वारा हथकरघा, पावरलूम, खादी और ग्रामोद्योग, औद्योगिक सम्पदाओं, लघु इकाइयों, हस्तकला, रेशम उद्योग, चटाई उद्योग, बीड़ी में कार्यरत श्रमिकों तथा दुर्बल वर्गों के श्रमिकों - जैसे महिला मजदूरों, अपंग मजदूरों, रिक्शा चालकों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, नागरिक और सफाई श्रमिकों की कार्यात्मक और शैक्षणिक जरूरतों पर आधारित बने बनाए कार्यक्रम 4 दिवसीय शिविर, विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ।

15.10 ग्रामीण शिविरों पर समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-2004 से 4 दिवसीय संचेतना शिविरों को आरंभ किया । अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान आयोजित 599 संचेतना शिविरों में कुल 24,986 श्रमिक लाभान्वित हुए ।

15.11 वर्ष 2003-2004 के दौरान बोर्ड ने लक्ष्यांकित 8479 कार्यक्रमों के स्थान पर विभिन्न अवधियों के 9049 कार्यक्रमों को आयोजित किया और विभिन्न क्षेत्रों के 2,92,879 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया ।

15.12 बोर्ड द्वारा संचालित विविध कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में प्रतिभागियों एवं प्रबंधन से फीडबैक लिया गया है । फीडबैक से पता चला है कि प्रतिभागियों ने अनुशासन, उत्पादकता, उत्पादन खर्च में कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए गुणवत्ता में सुधार, विविध औद्योगिक समस्याओं तथा आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन आदि के महत्व को महसूस किया है । इन कार्यक्रमों से उनकी धारणा में परिवर्तन आया है और उन्होंने संगठन के हित को अपना हित समझा है । श्रमिक संघों में जनतांत्रिक प्रक्रिया और व्यवहारों का सुदृढ़ीकरण हुआ है और श्रमिकों ने समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु सामान्य मंच के निर्माण के लिए प्रबंधन से संपर्क किया है । प्रतिभागियों ने धूम्रपान, तंबाकू सेवन, ऋण लेने संबंधी सामाजिक बुराइयों का भी परित्याग किया और बदले में बचत करने पर बल दिया । ग्रामीण शिविरों में प्रतिभागियों ने ग्रामीण श्रमिक संगठन, अल्प बचतों, स्वास्थ्य, सफाई और एकरूपता आदि के महत्व को भी महसूस किया और अनभिज्ञ लोगों में जागरण का संदेश देने का दायित्व लिया ।

स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम एवं सहायता अनुदान कार्यक्रम

15.13 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की क्षमता को सिद्ध करने तथा कार्यसंस्कृति में सुधार लाने, व्यक्तिगत संबंध में विकास करने इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पहली बार वरिष्ठ / कनिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों तथा श्रम संघ नेताओं के लिए विशेष स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनुपम प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है । अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 के दौरान आयोजित 12 विशेष स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रमों में 360 प्रतिभागी लाभान्वित हुए ।

15.14 बोर्ड पंजीकृत श्रमिक संघों तथा अन्य संस्थानों को श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता अनुदान देता है । बोर्ड केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों और राष्ट्रीय परिसंघों को भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता अनुदान मंजूर करता है । अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 की अवधि के दौरान बोर्ड ने 7,539 श्रमिकों के लिए 185 कार्यक्रमों का संचालन करने वाले 72 श्रमिक संघों / संस्थाओं को 3,15,306/- रुपए का सहायता अनुदान दिया ।

साहित्य और दृश्य- श्रव्य साधन

15.15 पाठ्य एवं सचित्र पुस्तिकाओं के रूप में सरल साहित्य का भारतीय भाषाओं में प्रकाशन किया गया है । बोर्ड ने वर्ष 2003-2004 के दौरान, विभिन्न शीर्षकों पर तेलुगु में 8, तमिल में 19, कन्नड़ में 8, मराठी में 2 तथा पंजाबी में 9 अर्थात् कुल 46 पुस्तिकाओं का प्रकशन किया है । इन साहित्यों को 3/- रुपए प्रति पुस्तिका की किफायती दरों पर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाता है । कक्षा में प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण - सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए पोस्टर्स, फ्लिप बुक, सचित्र पुस्तिकाओं एवं फ्लिप चार्ट आदि के रूप में श्रव्य - दृश्य साधन तैयार किए जाते हैं । भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय

निदेशालयों द्वारा परिसंवाद पेपर्स, विषय अध्ययन, चर्चात्मक मद इ. के रूप में अध्ययन साहित्य तैयार किए गए हैं ।

15.16 श्रम जगत में एच. आई. वी. / एड्स रोकथाम एक त्रिपक्षीय प्रतिक्रिया पर परियोजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 79 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया । बोर्ड ने एच.आई.वी./ एड्स पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में दो पर्ची तैयार किए है तथा प्रकाशित भी किए हैं । इसके अलावा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित पोस्टर्स भी प्रकाशित किए गए । संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पुस्तिका का मसौदा तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक फ्लिप बुक का भी प्रकाशन किया गया है ।

15.17 त्रैमासिक पत्रिका "श्रमिक शिक्षा" के तीन अंकों, जून 2003 सितम्बर तथा दिसम्बर 2003 (संयुक्त) तथा मार्च 2004, का प्रकाशन किया गया है । वर्ष 2003-2004, के दौरान अंग्रेजी में "सी बी डब्ल्यू ई न्यूज" तथा हिन्दी में "केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड समाचार" के मासिक अंकों का प्रकाशन किया गया है ।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

15.18 बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने नियमित रूप से मुख्यालय, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय निदेशालयों में हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा की थी । चार राजभाषा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 48 शिक्षा अधिकारी तथा समूह ग के 16 कर्मचारियों ने भाग लिया । बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारी सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके माह सितम्बर, 2003 के दौरान हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा मनाया गया । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के 12 कर्मचारियों को हिन्दी में उत्कृष्ट टंकण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया । वार्षिक हिन्दी पत्रिका **"श्रम किरण"** के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया जिसमें बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा लिखित लेखों एवं कविताओं का समावेश है ।

15.19 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई, सभी आँचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों ने आतंकवाद विरोध दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, सद्भावना दिवस एवं कौमी एकता सप्ताह मनाया । इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गई । प्रशिक्षणार्थियों एवं कर्मचारी सदस्यों को आवश्यकतानुसार शपथ दिलाई गईं ।

15.20 अप्रैल, 2000 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जोर देने पर एवं केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की शासी निकाय की सिफारिशों

के अनुसार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के उन्नयन / पुनर्संरचना का अध्ययन करने के लिए मई, 2001 में एक समिति गठित की गई थी । समिति ने दिनांक 30/5/2003 को माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

15.21 डॉ. साहिब सिंह, माननीय श्रम मंत्री ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रुचि लिया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

i) आँचलिक निदेशालय (पूर्व अंचल), कोलकाता और बैरकपुर के क्षेत्रीय निदेशालयों हेतु प्रस्तावित कार्यालय भवन की 18 मई, 2003 को आधारशिला रखी । अपने भाषण को समाप्त करते हुए डॉ. साहिब सिंह ने उद्घोषित किया कि प्रस्तावित भवन का नाम " स्वामी विवेकानन्द श्रम शिक्षण भवन " रखा जाएगा ।

ii) 20 फरवरी, 2004 को नागपुर में प्रत्येक 49 क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा 49 गाँवों में ग्राम विकास अभियान नामक नई परियोजना को आरंभ किया गया ।

iii) पूर्वी क्षेत्र के भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के लिए 15 फरवरी, 2004 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भा.श्र.शि.सं.), मुंबई द्वारा आयोजित सुधार प्रक्रिया एवं सामाजिक संवाद विषय पर पाँच दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया ।

iv) आँचलिक / क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा 16 सितम्बर, 2003 को श्रमिक शिक्षा दिवस के रूप में 46वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई ।

15.22 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों पर चर्चा करने के लिए डॉ. साहिब सिंह, माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्रीय की अध्यक्षता में 25 सितम्बर, 2002 को नई दिल्ली में परामर्शी समिति की बैठक आयोजित की गई । समिति के सदस्यों में सर्वश्री संजय पासवान, श्रीमती सन्तोष चौधरी, रामचन्द्र खूंटिया, पी. राजेन्द्रन, के. मलैसामी, प्रबोध पण्डा, श्री जिबन राय एवं अब्दुल हमीद बैठक में उपस्थित थे । श्री केशवभाई जे. ठक्कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के आरंभिक भाषण के बाद श्री वे. परमेश्वरन, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड का गठन, इसकी संरचना, गतिविधियों, बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, नई पहल एवं दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए पावर पाइण्ट प्रस्तुत किया । सभी सदस्यों ने बोर्ड के कार्यों की सराहना की और असंगठित श्रमिकों की शिक्षा पर जोर दिया ।

15.23 डॉ. पी.डी.शेनॉय, केन्द्रीय श्रम सचिव एवं श्री के.चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर को क्रमश: 12 मार्च एवं 31 मार्च, 2004 को अपनी भेंट दी तथा बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा की और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधित किया । डॉ. शेनॉय ने बोर्ड के सम्पूर्ण कार्यों एवं गतिविधियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी दीर्घा का उद्घाटन किया । श्री के. चन्द्रमौलि, संयुक्त सचिव ने बोर्ड द्वारा तैयार की गई शैक्षिक सी.डीज का विमोचन किया और क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर द्वारा बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए आयोजित दो दिवसीय परिसंवाद के प्रतिभागियों को भी सम्बोधित किया ।

सारणी 15.1 : श्रमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर	क्षेत्रीय स्तर	इकाई स्तर	विशिष्ट श्रेणियाँ
1) शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण/ पुन: प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2) शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 3) श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 2) प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 3) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	1) इकाई स्तर की कक्षाएं 2) आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम 3) संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1) कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं 2) निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए संचेतना शिविर (4 दिवसीय) क) असंगठित क्षेत्र ख) दुर्बल वर्ग ग) ग्रामीण क्षेत्र 3) ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)
4) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 5) समूह ग एवं घ के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	4) संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय) 5) प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 6) स्वयंकोष निर्माण के अंतर्गत कार्यक्रम 7) आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद	4) प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	4) निम्न हेतु विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय) : क) असंगठित श्रमिक ख) महिला श्रमिक ग) अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिक घ) बाल श्रमिक /बाल श्रमिकों के अभिभावकों ड़) श्रम कल्याण एवं विकास
	8) श्रमिकों एवं उनके जीवन साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता (4/2 दिवसीय) 9) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी		

सारणी 15.2 : वर्ष 2003 - 2004 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की गतिविधियाँ			
गतिविधियाँ	लक्ष्य 2003-04	1.4.2003 से 31.3.2004 तक उपलब्धियाँ	
		कार्यक्रम	प्रतिभागी
क्षेत्रीय स्तर			
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डेढ़ माह)	22	19	385
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	92	90	1959
प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एक सप्ताह)	23	14	229
भागीदारी प्रबन्धन पर संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	189	201	4163
स्वयंकोष निर्माण योजना (3 दिवसीय)	109	155	3100
स्वयंकोष निर्माण योजना (1 / 2 दिवसीय)	709	803	16650
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	524	634	12984
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता (4 दिवसीय)	220	184	6587
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता (2 दिवसीय)	485	546	20057
संयंत्र स्तर पर परिसंवाद (एक दिवसीय)	77	115	2828
इकाई स्तर			
अंशकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं 3 माह/ 3 सप्ताह/ 1 माह/ डेढ़ माह)	387	179	6642
उद्यम स्तर पर संयुक्त परिषदों के नए सदस्यों के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	514	672	15256
आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम (1 सप्ताह)	37	24	494
कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	219	12	305
असंगठित क्षेत्र			
असंगठित श्रमिकों / दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए संचेतना शिविर (4 दिवसीय)	460	423	18317
असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	325	533	20928
महिला श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	313	262	9165
बाल श्रमिकों के अभिभावकों / बाल श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	331	342	12027
अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	287	251	8737
श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1120	1312	48482
ग्रामीण क्षेत्र			
ग्रामीण जागरूकता शिविर (दो दिवसीय)	1951	2102	78182
ग्रामीण श्रमिकों के लिए संचेतना शिविर (चार दिवसीय)	85	176	6669
कुल	**8479**	**9049**	**292879**